दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 20 अप्रैल 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 199

महत्वपूर्ण एवं खास

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हुए संक्रमित, एम्स में किए गए भर्ती

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मनमोहन सिंह ने देश में कोविड-19 के हालात से निपटने के लिए रविवार को ही पांच उपाय सुझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और इस बात पर जोर दिया था कि महामारी से मुकाबले के लिए टीकाकरण तथा दवाओं की आपूर्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा था कि केवल कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए, बल्कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है, इसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि दवा निर्माताओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू किया जाना चाहिए और राज्यों को टीकाकरण के लिए अग्रिम मोर्चे के लोगों की श्रेणी तय करने में छूट देनी चाहिए, ताकि 45 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों को भी टीके लग सकें। सिंह ने अपने पत्र में लिखा था कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में टीकाकरण बढ़ाने के प्रयास अहम होने चाहिए। हमें यह देखने में दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कितने लोगों को टीका लग चुका है, बल्कि आबादी के कितने प्रतिशत का टीकाकरण हो चुका है, यह महत्वपूर्ण है। 00

जेलों में भीड़ कम करने कैदियों को अंतरिम जमानत देने की गुहार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को एक जनहित याचिका दाखिल कर अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यहां जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली और अन्य राज्यों में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए हालात बहुत चिंताजनक हैं तथा संक्रमण के मामले रोजाना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। याचिका में खबरों के हवाले से कहा गया है कि तिहाड़ जेल में पिछले पांच दिन में कोविड-19 के मामले दोगुने हो गये हैं। याचिका में वकील आर के गुसाईं ने कहा कि एक निश्चित दूरी बनाकर रखना जरूरी नियम है लेकिन दिल्ली की जेलें खचाखच भरी हैं और वहां दूरी बनाकर रखना असंभव है।

पहली मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी लगेगा टीका

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में पहली मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। केन्द्र सरकार ने सोमवार को कोविड टीकाकरण की नीति को और उदार बनाने तथा तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह फैसला किया गया। इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण जारी रहेगा। तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक पचास प्रतिशत टीकों की आपूर्ति केन्द्र को करेंगे और बाकी पचास प्रतिशत राज्यों के साथ-साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे।

जलशक्ति मंत्रालय को स्वीमिंग पुलों के लिए भूजल दोहन के विषय में करें विचार: एनजीटी

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जल शक्ति मंत्रालय को इस पर गौर करने का निर्देश दिया है कि पानी के कमी वाले क्षेत्रों में स्वीमिंग पुलों के लिए किस हद तक भूजल निकालने दिया जा सकता है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चूंकि पेयजल पहली प्राथमिकता है इसलिए पर्यावरण के नुकसान पर भूजल के अंधाधुंध दोहन की अनुमति नहीं दी जा सकती ताकि जरूरतमंदों को पेयजल उपलब्ध हो। एनजीटी ने कहा कि पानी के कमी वाले क्षेत्रों में भूजल के दोहन से नदियों के प्रवाह पर एवं भूजल स्रोतों के संभरण की संभावना पर भी असर पड़ता है। उसने कहा कि इसलिए स्थायी विकास के वास्ते भूजल की मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

कोरोना पर पीएम मोदी ने की डॉक्टरों के साथ चर्चा, दूसरी लहर पर काबू पाने परिवर्तनकारी भूमिका निभाने का आह्वान

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण के कहर से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के डॉक्टर से बतौर वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बातचीत की। पीएम मोदी ने डॉक्टरों व चिकित्साकर्मियों द्वारा महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर पर भी काबू पाना है। डॉक्टर टीकाकरण व महामारी को लेकर समाज में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएं।

प्रधानमंत्री ने शहरों के डॉक्टरों से आग्रह किया कि उन्हें कोविड प्रबंधन का अनुभव है, वे वंचित इलाकों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए आनलाइन परामर्श व प्रशिक्षण दें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बैठक में पीएम ने कोविड-19 व टीकाकरण से संबंधित मसलों पर चर्चा की। उन्होंने महामारी के दौरान डॉक्टरों, मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ द्वारा देश की अमूल्य सेवाओं के लिए उनकी सराहना की।

डॉक्टर बचा रहे लाखों लोगों की जान

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल हमने इसी समय हमारे डॉक्टरों के कठोर परिश्रम व देश की रणनीति के दम पर कोरोना लहर पर काबू पाया था। अब देश दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में सभी डॉक्टर व हमारे फंटलाइन वर्कर पूरी ताकत से महामारी का सामना कर रहे हैं और लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं। डॉक्टरों और फार्मा क्षेत्र के साथ बातचीत के एक दिन बाद प्रधान मंत्री ने चल रहे कोविड -19 महामारी को संभालने के लिए तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। ये बातें 18 अप्रैल की बैठक के बारे में एक आधिकारिक बयान में कही गयी है। पीएम मोदी उभरती महामारी की स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें करते रहे हैं।

केंद्र सरकार ने लिए कई अहम निर्णय

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं, इंजेक्शनों, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकारों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह बैठक ऐसे समय हुई जब भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2.74 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश के कई राज्यों से ऑक्सीजन तथा दवाइयों की कमी की

शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को देश में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2.74 लाख नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण के कुल मामले 1.50 करोड़ के पार पहुंच गए इसके साथ ही देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी 19.30 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमण के मामलों में लगातार 40वें दिन वृद्धि हुई है।

एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी लगेगा टीका

देश में कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को अब टीका लगेगा। पीएम मोदी की एक बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक साल से सरकार पूरी जोर लगा रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे।18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी होगी या नहीं इसपर सरकार जल्द जल्द से जल्द फैसला सुनाएगी। बता दें कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह मांग की थी कि कोरोना वैक्सीन की तय उम्र सीमा को कम किया जाए।

केंद्र दो भारतीय मछुआरों के परिवारों के लिए इटली भेज रहा 10 करोड़, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। इटली ने उसके नौसैनिकों द्वारा मारे गए दो भारतीय मछुआरों के परिवारों को बतौर मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपये भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन मछुआरों को फरवरी 2012 में केरल के समुद्र तट के पास इटली के नौसैनिकों ने मार दिया था।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि जैसे ही पैसा मिलता है सरकार उसे नौ अप्रैल के निर्देशानुसार शीर्ष अदालत में जमा करेगी। केंद्र की ओर से वकील रजत नायर ने पीठ से कहा कि हम पैसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पीठ दोनों इतालवी नौसैनिक- सल्वातोरे गिरोने और मासिमिलानो लातोरे के खिलाफ मामले को बंद करने के केंद्र के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

इस मामले की सुनवाई शुरू होती ही पीठ ने पूछ कि क्या धनराशि जमा हो गई है? इस पर केन्द्र की ओर से रजत नायर ने पीठ को बताया कि इटली ने पैसे भेजना शुरू कर दिया है। पीठ ने कहा कि केंद्र के वकील ने पहले जल्द सुनवाई पर जोर दिया था और पिछली तारीख पर कहा था कि पैसा तीन दिन में जमा हो जाएगा। पीठ ने कहा, हम जानते हैं कि आप कितनी तेजी से काम करते हैं। नायर ने पीठ से कहा कि जैसे ही पैसा मिलता है, उसे शीर्ष अदालत में जमा कराया जाएगा।

झारखण्ड, बिहार के कई स्थानों पर सीबीआई का छापा, कई बड़े अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज

रांची (आरएनएस)। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी मैनेजरशिप दक्षता परीक्षा पास कराने के बदले अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने रविवार को धनबाद, पटना, लखीसराय, दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी की. जांच एजेंसी ने धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) सेंट्रल जोन के उप महानिदेशक अरविंद कुमार और उनके भाई कैलाश महतो समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

सीबीआइ ने कुल 39.80 लाख रुपये नकद और जमीन के कई दस्तावेज भी बरामद किया है. डीडीजी अरविंद कुमार को धनबाद, जबकि उनके भाई कैलाश महतो, त्रिलोकीनाथ सिंह सहित अन्य चार को लखीसराय में सूर्यगढ़ा से गिरफ्तार किया गया. पूरा मामला 72 लाख रुपये के रिश्वत कांड से जुड़ा है. सीबीआइ के अनुसार, अधिकारी अरविंद कुमार महतो ने त्रिलोकीनाथ सिंह और अन्य के साथ मिल कर महानिदेशालय की मौखिक परीक्षा में उपस्थित होनेवाले कुछ उम्मीदवारों के फेवर के लिए साजिश रची थी.

प्रबंधक के पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों की मौखिक परीक्षा हुई थी. जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि उम्मीदवारों से रिश्वत लेकर साक्षात्कार बोर्ड से उनकी मदद कराने के कथित साजिश रची थी. त्रिलोकीनाथ और अन्य के जरिये भेजे गये 48 उम्मीदवारों से कुल 72 लाख रुपये की रिश्वत ली गयी थी.

सीबीआइ के अनुसार, धनबाद से अरविंद कुमार ने दो लोगों के माध्यम से 35 लाख रुपये रविवार को एक कार से लखीसराय के सूर्यगढ़ा भेजा. सूर्यगढ़ा में अरविंद के भाई कैलाश महतो, जो अमरपुर हाई स्कूल में शिक्षक हैं और उसके मित्र हुसैना निवासी प्रवीण कुमार 35 लाख रुपए रिसीव करने पहुंचे थे.

कोरोना की सुनामी: 24 घंटे में मिले 2.74 लाख नए मरीज, 1619 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन नए कोरोना मरीजों और कोविड से मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दहशत पैदा कर रही है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। देश में पिछले 24 घंटों में 2.74 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 1,619 से अधिक लोगों की जिंदगी इस संक्रमण ने लील ली। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। केंद्रीय ने सोमवार को आंकड़े जारी कर बताया कि देश में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक रिकॉर्ड 2,73,810 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, इसी के साथ देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर

1,50,61,919 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 1,619 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया, इसी के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,78,769 पहुंच गई। महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है।

अमेरिका के बाद भारत में सबसे अधिक एक्टिव केस- स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में सक्रिय मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में 1,44,178 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं, इसी के साथ देश में अब तक 1,29,53,821 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब आधी है। फिलहाल, देश में सक्रिय मामले बढ़कर 19,29,329 पहुंच गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अमेरिका के बाद सर्वाधिक भारत में है।

12.26 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका- देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है। इसके तहत 45 साल से ऊपर वालों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में अब तक 12,26,22,590 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से 12,29,976 लोगों को रविवार को कोविड टीका लगाया गया है।

26.78 करोड़ लोगों की हुई कोविड जांच- देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार को देखते हुए कोरोना की जांच में तेजी लाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, देश में रविवार शाम तक 26,78,94,549 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 13,56,133 नमूनों की जांच कल यानी रविवार को की गई।

सभी बीमा कंपनियां कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी: अदालत

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सभी बीमा कंपनियां मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 को 2018 में लागू होने के समय से अपनी नीतियों में प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी हैं और ऐसा करने में कोई भी देरी ''कानून की भावना के विपरीत होगी।' न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि बीमा नियामक आईआरडीएआई बीमा कंपनियों की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि वे कानून का अनुपालन करें और वह इस कानून के गैर अनुपालन पर आंखे नहीं मूंद सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि आईआरडीएआई को यह सुनिश्चित करना है कि बीमा कंपनियों द्वारा जारी सभी बीमा उत्पाद कानून के अनुसार हों। अदालत का यह निर्देश एक महिला की याचिका पर आया जिसका सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति के दावे को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मनोरोग विकार मेडिकल कवर से बाहर रखे गए हैं। अदालत ने कहा कि 6.67 लाख रुपये का उसका दावा प्रतिपूर्ति योग्य है और वह उसकी हकदार है। अदालत ने साथ ही बीमा कंपनी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसका भुगतान महिला को किया जाएगा क्योंकि उसे प्रतिपूर्ति के दावे के लिए मुकदमे का सहारा लेने के लिए बाध्य किया गया।

एलएमओ और ऑक्सीजन सिलेंडर की ढुलाई के लिए रेलवे पूरी तरह तैयार

नईदिल्ली (आरएनएस)। रेलवे सभी मुख्य कॉरिडोर पर तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कोविड संक्रमण में कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में ऑक्सीजन की उपलब्धता एक मुख्य अंग है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने रेलवे द्वारा तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंकर ले जाने की संभावनाएं तलाशने के लिए रेल मंत्रालय से संपर्क किया था। रेलवे ने तत्काल तकनीकीस्तर पर एलएमओ की ढुलाई की संभावना का पता लगाया। एलएमओ फ्लैट वैगनों पर रोड टैंकरों के साथ रोल ऑन रोल ऑफ (रो रो) सेवा के माध्यम से पहुंचाए जाने हैं। रोड ओवर ब्रिज्स (आरओबी) की ऊंचाई की सीमाओं और चुनिंदा स्थानों पर ओवर हेड इक्विपमेंट (ओएचई) के कारण विभिन्न विशेषताओं वाले रोड टैंकरों में से 3320 मिमी ऊंचाई वाले रोड टैंकर के मॉडल टी 1618 को 1290 मिमी ऊंचाई वाले फ्लैट वैगनों (डीबीकेएम) पर रखे जाने के लिए व्यवहार्य पाया गया था।

परिवहन के मानकों का परीक्षण सुनिश्चित करने के क्रम में विभिन्न स्थानों पर परीक्षण कराए गए थे।

यह डीबीकेएम वैगन 15 अप्रैल 2021 को मुंबई में कलंबोली गुड्स शेड में खड़ा था और यहां पर एलएमओ से भरा एक टी 1618 टैंकर भी लाया गया था। उद्योग और रेलवे के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से इसका लेखा-जोखा लिया गया।

इस माप के आधार पर, रूट के लिए स्वीकृतियां ली गई थीं और पाया गया कि

ओवरहेड मंजूरियों के आधार पर कुछ खंडों पर गति की सीमाओं के साथ ओडीसी (ओवर डायमेंशनल कन्साइनमेंट) और रो रो के रूप में आपूर्ति करना संभव होगा।

क्रायोजेनिक टैंकरों में एलएमओ की रो रो संचालन के लिए वाणिज्यिक बुकिंग और भाड़े का भुगतान सुनिश्चित करने के क्रम में, रेलवे ने इस मसले पर हर जरूरी विवरण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए 16 अप्रैल 2021 को एक परिपत्र जारी किया था।'तरल मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई से संबंधितमुद्दों' के विषय पर 17 अप्रैल 2021 को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और राज्य परिवहन आयुक्तों की उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी। उसमें यह फैसला लिया गया था कि टैंकर की व्यवस्था परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र द्वारा की जाएगी। ये खाली टैंकर कलंबोली/बोइसर, मुंबई और आसपास के रेलवे स्टेशनों से भेजे जाएंगे तथा तरल मेडिकल ऑक्सीजन के लदान के लिए उन्हें विजाग और जमशेदपुर/राउरकेला/बोकारो भेजा जाएगा।

उक्त फैसले के पालन के लिए, रेलवे मंडलों को तत्परता से ट्रेलर्स प्राप्त करने और फिर लदान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विजाग, अंगुल और भिलाई में रैम्पों का निर्माण किया गया है तथा कलंबोली में मौजूदा रैम्प को मजबूत किया गया है। कलंबोली रैम्प 19 अप्रैल 2021 तक तैयार हो जाएगी। अन्य स्थानों पर भी टैंकरों के पहुंचने तक दो दिन के भीतर वहां रैम्प तैयार हो जाएगा।

18 अप्रैल 2021 को बोईसर (पश्चिम रेलवे) में एक परीक्षण किया गया था, जहां एक भरे हुए टैंकर को एक फ्लैट डीबीकेएम पर रखा गया और सभी जरूरी माप की गई थी।

रेलवे ने विभिन्न स्थानों पर टैंकरों की रवानगी की संभावनाओं को देखते हुए पहले ही कलंबोली और अन्य स्थानों पर डीबीकेएम वैगन पहुंचा दिए हैं। रेलवे टैंकर भेजने के लिए महाराष्ट्र से परामर्श का इंतजार कर रही है।

अनुमानित रूप से 19 अप्रैल 2021 को 10 खाली टैंकर भेजने के लिए एक परिवहन योजना तैयार कर ली गई है। महाराष्ट्र के परिवहन सचिव ने 19अप्रैल2021 तक टैंकर उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है।